न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः—सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
53 / 2013	03.10.2013	15.04.2025

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. प्रभुलाल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
2. रमेश पुत्र स्व0 पूरणमल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 पूरणमल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
4. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 पूरणमल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
5. बनवारी पुत्र स्व0 पूरणमल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
6. रामकन्या बेवा स्व0 पूरणमल जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।

वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र स्व0 रामधन जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
2. मांगीलाल पुत्र स्व0 रामधन जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
3. गुलाब वेबा स्व0 रामधन जाति नाथ निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।
4. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :—

श्री रमेश चन्द तेहरिया वकील वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वाद पत्र उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेंश किया किः—
   - वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई बन्ध है। हमारे ग्राम दौलतपुरा तह0 खण्डार में पैतृक खातेदारी जमीन है जिसके खसरा नम्बर 9 रकबा 1.19 बीघा खसरा नं. 10 रकबा 3.18 बीघा कुल ख.नं. 2 कुल रकबा 5.17 बीघा ग्राम दौलतपुरा में स्थित है।
   - यह जमीन वादीगण के दादा धूड़्या के नाम थी। धूड़्या के तीन पुत्र थे। धूड़्या का सजरा खानदान वादपत्र में अंकित है।
   - धूड़्या के पुत्र तीन थे जिनका स्वर्गवास हो गया है। हम वादीगण प्रभूलाल एवं पूरणमल के वारिस है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रामधन के वारिस है। हम वादीगण के दादा धूड़्या के समय से ही उपरोक्त आराजी का बटवा[illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता के समय [illegible] था। तीनों भाईयों ने उपरोक्त आराजी का बटवारा [illegible] निर्धारित कर लिये। उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर वर्षो से काश्तकारी करते चले आ रहे है। और आज भी कास्त करते आ रहे है। जिसमें व[illegible] में हमने उड़द तिल बाजरा की फसल काटी है। तैयार कर बेच दी है। अब सरसों बोने की तैयारी है। जिसमें प्रतिवादीगण दखलअंदाजी करने को आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema K
Date: 2025.09.08 13:58:46 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- रामधन के फोत होने के बाद उपरोक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के हिस्से पर कास्तकारी करने में बाधा डालने लगे जिसे परिवार के लोगो ने समझाइश करके दोनों पक्षों को समझा दिया गया।
- वादीगण के पास उपरोक्त आराजी क अलावा अन्य कोई जमीन नही है। उसके पास मात्र यही जमीन है जिसका बटवारा मौखिक रूप से वर्षो पूर्व उनके पिसरान दादा धूड्या के जमाने से ही हो गया था। ती से आज तक हम लगातार कास्तकारी करते आ रहे है। भाईयों के बीच कभी भी कोई मनमुटाव नही हुआ है।
- उक्त आराजी पैतृक संपति है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगणों का अपने दादा धूडया के जमाने से ही कब्जाकास्त चला आ रहा है।
- दिनांक 05.03.2013 को वादी अपने हिस्से की जमीन पर ऋण लेने के लिए केसीसी बनाने के लिए पटवारी के पास अपनी जमीन की नकल लेने गये तो वहा पटवारी द्वारा बताया गया कि आपके पास कोई जमीन नही है। सारी जमीन रामधन पुत्र धूडया के नाम है। यह जमीन अकेले रामधन के नाम लगी है। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है एवं कानूनन न्यायहित में है।
- उपरोक्त आराजी अकेले रामधन के नाम बडे पुत्र होने की वजह से लग गई होगी जिसकी जानकारी किसी को भी नही है। जबकी कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादीगणों का धूडया के जमाने से ही करते आ रहे है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है। रामधन की मृत्यु बाद इस बात का पता लगने पर कि उपरोक्त आराजी अकेले स्वर्गीय रामधन के नाम है उनके पुत्रों के मन में बदयांति आ गई व वादीगण की जमीन के हिस्से पर से उन्हे बेदखल करने पर उतारू है। कब्जाकाश्त मे बाधा डाल रहे है। बेचने की धमकी दे रहे है। एसी स्थिति में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना असंभव है। दिनांक 20.09.2013 को प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की खेत पर आ गये और ऐलानिया धमकी दी कि खेत को 07 दिन में खाली कर देना हम इसकों बेचेंगे। तुम्हे काश्तकारी नही करने देंगे। तब ये दावा पेश करना आवश्यक हुआ। क्योंकि उक्त आराजी प्रतिवादीगणों के पिता एवं पति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। उसे कभी भी वे लोग रहन बेचान कर सकते है।
- विवादित आराजीयात श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से यह वाद माननीय अदालत हाजा को सुनने का अधिकार प्राप्त है।
- वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जावे।
    - उपरोक्त आराजीयात जो अकेले स्व0 रामधन के नाम गलती से लग गई है को निरस्त कर हम वादीगण के नाम इन्द्राज की जावें।
    - उपरोक्त आराजीयात का मौके पर तहसीलदार खण्डार को भेजकर तकासमा करवाया जावें।
    - उपरोक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे [illegible] हिस्से के उपयोग उपभोग पर कोई स्वयं बा[illegible] से बाधा डलवाये और ना ही उपरोक्त आराजीयात को किसी [illegible] रहन व बेचान करें। मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बनाये रखें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज हो जावें या रहन बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

कर देवे तो उन्हे बेदखल कर राजस्व रिकार्ड में रहन बेचान निरस्त करवाया जावें।

- खर्चा मुकदमा जो मुफीद हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

2. वादी का वाद पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। दिनांक 17.10.2016 को प्रतिवादी संख्या 03 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जवाब दावा हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जाने पर जबाव दावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 25.03.2021 को जबाव दावा पेश किय जाने हेतु प्रतिवादीगणों को आवाज लगाने पर उपस्थित नही हुए। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई।

3. वकील वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में PW 1वादी लक्ष्मीनारायण के द्वारा शपथ पत्र पेश किये जाकर दस्तावेजों पर प्रदर्श डलवाये गयें। ग्राम दौलतपुरा की सम्बत 2066–2069 के खाता संख्या 255 की जमाबन्दी पेश की गई जो प्रदर्श–1 है। खसरा गिरदावरी सम्बत् 2066–69 पेश की गई जो प्रदर्श– 3 है। वादी के द्वारा दूसरा गवाह मांगीलाल पुत्र रामधन जाति नाथ के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 2 गवाह रमेश पुत्र पूरणमल जाति नाथ के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 3, गवाह बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति धोबी के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 4, गवाह मांगीलाल पुत्र रामधन के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 5, गवाह रामनिवास पुत्र जयनारायण जाति बैरवा के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 6, गवाह रामस्वरूप पुत्र गोपीलाल जाति धोबी के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW7, गवाह बनवारी पुत्र पूरणचन्द जाति नाथ के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो PW 8 है। पत्रावली वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

4. वकील प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र हेतु वादी वकील को अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किया गया। प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगणो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त का खारिज किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. वादी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का दोहरान करते हुए बहस में बताया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई बन्ध है। हमारे ग्राम दौलतपुरा तह0 खण्डार में पैतृक खातेदारी जमीन है जिसके खसरा नम्बर 9 रकबा 1.19 बीघा खसरा नं. 10 रकबा 3.18 बीघा कुल ख.नं. 2 कुल रकबा 5.17 बीघा ग्राम दौलतपुरा है। यह जमीन वादीगण के दादा धूड़्या के नाम थी। धूड़्या के तीन पुत्र थे। जिनका स्वर्गवास हो गया है। हम वादीगण प्रभूलाल एवं पूरणमल के [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रामधन के वारिस है। हम [illegible] के दादा धूड़्या [illegible] समय से ही उपरोक्त आराजी का बटवारा कर हम वादीगण [illegible] लगायत 3 के पिता के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। जिसका बटवारा मौखिक रूप से वर्षो पूर्व उनके पिसरान दादा धूड़्या के जमाने से ही हो गया था। उपरोक्त आराजी अकेले रामधन के नाम बडे पुत्र होने की वजह से लग गई होगी जिसकी जानकारी किसी को भी नही है। जबकी कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादीगणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khe
Date: 2025.09.08 13:58:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

का धूडया के जमाने से ही करते आ रहे है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है। रामधन की मृत्यु बाद इस बात का पता लगने पर कि उपरोक्त आराजी अकेले स्वर्गीय रामधन के नाम है। उनके पुत्रों के मन में बदयांति आ गई व वादीगण की जमीन के हिस्से पर से उन्हे बेदखल करने पर उतारू है। कब्जाकाश्त मे बाधा डाल रहे है। बेचने की धमकी दे रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आराजीयात जो अकेले स्व0 रामधन के नाम गलती से लग गई है को निरस्त कर हम वादीगण के नाम इन्द्राज की जावें एवं आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण की पैतृक भूमि के अपने हिस्से के उपयोग उपभोग पर कोई स्वयं बाधा नहीं डाले ना ही किसी अन्य से बाधा डलवाये और ना ही उपरोक्त आराजीयात को किसी को रहन व बेचान करें। मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बनाये रखें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज हो जावें या रहन बेचान कर देवे तो उन्हे बेदखल कर राजस्व रिकार्ड में रहन बेचान निरस्त करवाये जाने की कृपा करें।

6. वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा सम्बत् 2066–2069 (प्रदर्श–1) के खसरा नम्बर 9 रकबा 1.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 10 रकबा 3.18 बीघा खातेदार रामधन पुत्र धूड़या जाति नाथ के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता एवं पति है। वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात अपने दादा धूड़या की पैतृक सम्पत्ति होना बताया गया है। परन्तु धूड़या की मृत्यु के उपरान्त भूमि इसके तीन पुत्र रामधन, प्रभुलाल व पूरणमल के स्थान पर बड़े पुत्र रामधन के नाम खातेदारी भूमि दर्ज होना अंकित किया गया है। वादीगण के द्वारा पैतृक भूमि के सम्बन्ध में एवं एक मात्र रामधन के नाम भूमि रिकॉर्ड के सम्बन्ध में दस्तावेज पत्रावली उपलब्ध नहीं है। ना ही ऐसा कोई रिकार्डेड दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है कि धूड़या की मृत्यु के उपरान्त एकमात्र खातेदार रामधन के नाम जमीन दर्ज रिकॉर्ड हुई है। अतः न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीमा खे...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema K...
Date: 2025.09.08 13:58:46 I...
Reason: SelfAttested